

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 1123 / 1337

दिनांक :- 7-11-16

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री अजयकुमार राजपुरोहित [लिंक नं. 1123] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय उपकोषालय (पेंशन), बीकानेर - [1558] जिनकी जन्म तिथि 15/08/1963 है, का दिनांक 27/09/2016 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 27/09/2016 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री अजयकुमार राजपुरोहित के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 1123 / 1337

दिनांक :- 07-11-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर
3. आयुक्त, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री अजयकुमार राजपुरोहित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी बीकानेर
5. श्री/श्रीमती पति / पत्नी स्व. श्रीमती / श्री मती अनिता राजपुरोहित, शिव सदन, गवर्नर प्रेस के सामने, मॉजिस की बाड़ी, बीकानेर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), बीकानेर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा

(डॉ मनीष शुक्ला)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)